

SRO1

कम सं०

9112

Sub Registrar-1 VNS

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक

09-May-2017

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम

घूरे लाल

लेख का प्रकार

विक्रय अनुबंध विलेख

प्रतिफल की धनराशि

0.00

/

6,147,000.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 20,000.0

2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 200

3. निरीक्षण या तलाश शुल्क

4. मुख्तारनामा के अधिप्रमार्णा करण के लिए शुल्क

5. कमीशन शुल्क

6. विविधि

7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग

20,200.0

शुल्क वसूल करने का दिनांक

09-May-2017

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र

वापस करने के लिए तैयार किया

09-May-2017

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(512)



श्री वावा

असफल एजेंट

नॉ 6147000

4303000

(84)

डेवलपर एग्रीमेंट

घूरे लाल पुत्र स्व० बल्ली निवासी ग्राम हासिमपुर, परगना शिवपुर, तहसील व जिला वाराणसी।

.....प्रथम पक्ष/जमीन मालिक



श्री वावा



इयम



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



F 467666

2


व

भव्या रुप जरिये प्रो० भगत सिंह पुत्र बैजनाथ प्रसाद
निवासी मकान नं० सी० 32/27-बी०-2 चन्दुआ छित्तपुर,
हबीबपुरा, वाराणसी।

.....द्वितीय पक्ष/डेवलपर

द्यूरी लाव्य

३-३-२५



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000


TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




3

वाजह हो कि आराजी नंबर मि0 12 स्थित मौजा लालपुर
अनौला, परगना शिवपुर, वार्ड सारनाथ, तहसील व जिला
वाराणसी जैसा कि इस डेवलपर एग्रीमेंट के अंत में तफसील
जायदाद में एवं संलग्न नक्शा में लाल तिरछी लकीये से जाहिर
किया गया है का प्रथम पक्ष तनहा मालिक व काबिज दाखिल है



श्री लाल



श्री लाल



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



467668

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4

जो प्रथम पक्ष को खानगी बंटवारा में प्राप्त हुआ है प्रथम पक्ष को आराजी उपरोक्त के बाबत हर प्रकार का हक व अधिकार बाबत हस्तान्तरण के हासिल है। प्रथम पक्ष उस आराजी पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आवासीय उद्देश्य हेतु बनवाना चाहता था लेकिन प्रथम पक्ष के पास वित्तीय अभाव एवं तकनीक अभाव था

इशारे।

इशारे






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5

तब द्वितीय पक्ष से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव रखा
और विश्वास दिलाया कि उक्त आराजी नं० मि० 12 मौजा
लालपुर अनौला, परगना शिवपुर, वार्ड सारनाथ, तहसील व जिला
वाराणसी जिसका विस्तृत विवरण इस डेवलपर एप्लीमेंट में वर्णित
है एवं लाल तिरछी लकिये से जाहिर किया गया है बिल्कुल पाक



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये




Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

व साफ हालत में जिसे रेहन सट्टा आदि नहीं किया गया है और न तो किसी सरकारी या गैर सरकारी बैंक में बन्धक है और न ही किसी न्यायालय में कोई वाद ही विचाराधीन है, ऐसा प्रथम पक्ष के विश्वास दिलाने पर ही द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार किया तथा आज तक मु०



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




F 467673

7

20,00,000/-रु० (बीस लाख रुपया) भी प्रथम पक्ष के अनुरोध पर बतौर टोकन मनी आदि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को दे दिया है और बिल्डिंग तैयार होने पर प्रथम पक्ष के शेयर से उसकी भरपाई करेगा इस प्रकार प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष डेवलपर



श्री शावा



श्री





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8

एग्रीमेंट तहरीर कर अपने-अपने को तथा अपने कायम मुकामानो वारिसानो को निम्नलिखित शरायतो से पाबन्द होते व करते है :-

1. यह कि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को डेवलपर एग्रीमेंट के द्वारा ग्रुप काम्प्लेक्स हाउसिंग के तहत आवासीय बिल्डिंग बनाने हेतु आराजी नं० मि० 12 मौजा लालपुर अनौला,



रजत



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

REASURY OF
INDIA


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



F 467675 -

9

परगना शिवपुर, वार्ड सारनाथ, तहसील व जिला वाराणसी
अधिकृत करता है जैसा कि इस डेवलपर एग्रीमेंट के अंत
में तफसील जायदाद में विस्तृत रूप से वर्णित है एवं
संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है जिसके



~~Handwritten signature~~





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

10

बाबत वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी में नक्शा

द्वितीय पक्ष दाखिल कर अपने खर्चा पर पास करायेगा।

2. यह कि ग्रुप काम्प्लेक्स यानि आवासीय प्रायोजन हेतु मल्टी

स्टोरी बिल्डिंग तैयार करना जिसमें सीवर, लाईट, पानी व

अन्य सुविधाओ की व्यवस्था करेगा और इसे वाराणसी



इ-३५



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



11

विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा अप्रूवड (स्वीकृति) द्वितीय पक्ष करायेगा।

3. यह कि उक्त आराजी पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिये इंजिनियर की व्यवस्था करना आर्किटेक्ट की व्यवस्था करना लेबर एवं मजदूर की व्यवस्था करना एवं बिल्डिंग



~~Handwritten signature~~





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 467676

12

मैंटेरियल की व्यवस्था करना सभी द्वितीय पक्ष अपने खर्च पर करायेगा।

4. यह कि बिल्डिंग में जो टोटल बिल्डअप एरिया होगा उसमें प्रत्येक फ्लोर पर प्रथम पक्ष का शेयर 42.5 प्रतिशत व द्वितीय पक्ष का शेयर 57.5 प्रतिशत होगा तथा उपरी तल

श्री शारदा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 052707

BZ 052707

13


पर भी अपने-अपने शेयर के मुताबिक भी प्रथम पक्ष व

द्वितीय पक्ष साईन बोर्ड या होर्डिंग या टावर लगवायेगा।

5. यह कि बिल्डिंग तैयार होने के बाद कॉमन एरिया की जो

सुविधा होगी उसका उपयोग व उपभोग सभी मालिक करेगे

किसी पक्ष या मालिक को कॉमन एरिया के बाबत कोई



श्री 01/1





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


BZ 052708

BZ 052708

14

विशेष अधिकार नहीं होगा, सिवाय कि वह कॉमन सुविधा का उपयोग करे। कॉमन एरिया का मतलब सीढ़ी, लॉबी, लिफ्ट, कौरीडोर, सेट बैक, टेरिस।

6. यह कि बिल्डिंग तैयार होने के बाद प्रथम पक्ष अपना शेयर 42.5 प्रतिशत एवं द्वितीय पक्ष अपना शेयर 57.5





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 052709

BZ 052709

15

प्रतिशत का विक्रय करे जिसमे कोई पक्ष एक दूसरे के
अपने अंश विक्रय करने में यानि कोई पक्ष एक-दूसरे को
अपने-अपने अंश का विक्रय करने में कोई हस्तक्षेप नहीं
करेगा।






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 052737

BZ 052737

16

7. यह कि द्वितीय पक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी का जो नियम एवं शर्त होगा उसका पालन करेगा एवं सिक्योरिटी अमाउण्ट है या दूसरा अमाउण्ट है उसे नियमानुसार डेवलपर के लिये जमा करेगा और प्रथम पक्ष





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


BZ 052745

BZ 052745

17

कोई भी अमाउण्ट जमा करने के लिये जिम्मेदार नहीं होगा।

8. यह कि प्रथम पक्ष आज इस डेवलप एग्रीमेंट के द्वारा जनरल पावर ऑफ अर्टानी भी द्वितीय पक्ष को कर रहा है ताकि बिलडिंग कम्प्लीट तैयार होने पर द्वितीय पक्ष डीड



इस





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 052746

BZ 052746

18

तैयार करे कही सक्षम अधिकारी के वहां दस्तखत देवे या
कोई कानूनी कइचन आने पर द्वितीय पक्ष अपने दस्तखत
से दर्खास्त देवे जो माना जावेगा कि प्रथम पक्ष के द्वारा
किया जा रहा है बावजूद इसके यदि कोई कानूनी अइचन



चुनौ शाला

बनम





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 052840

BZ 052840

19

आयेगा तो वह प्रथम पक्ष पर कानूनी रूप से द्वितीय पक्ष का सहयोग करेगा।

9. यह कि प्रथम पक्ष इस बात का अंडस्टेकिंग दे रहा है कि यदि हक के बाबत या किसी सह मालिक द्वारा कोई कानूनी अड़घन पैदा होता है तो उस स्थिति में यदि द्वितीय





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


BZ 052839

BZ 052839

20

पक्ष को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई प्रथम पक्ष करेगा।

10. यह कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष खाली जमीन का ट्रान्सफर जो बिल्डिंग (ग्रुप काम्प्लेक्स) बनने के बाद होगा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 052838

BZ 052838

21

नहीं करेंगे, ओपेन एरिया का तात्पर ओपेन पार्किंग
स्पेस, रोड पार्क आदि।

11. यह कि द्वितीय पक्ष डेवलपर ही बिल्डिंग बनाने के लिये
पूरा प्लान तैयार करेगा उसके लिये इंजिनियर/आर्किटेक्ट



इसका





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 052812

BZ 052812

22

या प्लानर तथा साय में सपोर्टिंग प्लान जैसे स्ट्रक्चरल

इलेक्ट्रीकल सीवरेज प्लान आदि।

12. यह कि द्वितीय पक्ष बिल्डिंग तैयार करने में प्रथम पक्ष

के शेयर में भी अपने शेयर के ही तरह अच्छी मॅटेरियल

एवं सामानो का उपयोग करेगा।



हस्ताक्षर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 052811

BZ 052811

23

13. यह कि बिल्डिंग तैयार करने में जो भी खर्च आयेगा उसे

द्वितीय पक्ष ही खर्च करेगा।

14. यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच इस डेवलपर

एग्रीमेंट के किसी शर्त का या किसी बात को लेकर कोई

विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षगण इसे इण्डियन टेसन



श्रीधर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 052810

BZ 052810

24

एण्ड सी कैंसीलेशन एक्ट 1996 के तहत निस्तारण
करायेगा।

15. यह कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष इस डेवलपर एग्रीमेंट
को स्वस्थ्य मन मस्तिष्क बिना किसी दबाव के प्रथम





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 052768

BZ 052768


25

पक्ष अपने-अपने लड़के के सामने गवाहों के सामने

डेवलपर एग्जिमेंट तहरीर कर रहे हैं।

16. यह कि सम्पत्ति चिन्हित मार्ग पर नहीं है और पूरी तरह

खुली जमीन है।



~~इ. देवा~~





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 052769

BZ 052769


26

17. यह कि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से आज तक जरिये चेक

व जरिये आर0टी0जी0एस0 मुबलिंग

20,00,000/-रुपये प्राप्त कर चुका है इसे बिल्डिंग

तैयार होने पर उस वक्त के रेट के दर से प्रथम पक्ष



~~Handwritten signature~~





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 052764

BZ 052764

27

अपने हिस्से का प्लैट द्वितीय पक्ष को विक्रय करेगा और


मुबलिंग 20,00,000/-रुपया उसी में मोजरा होगा।

18. यह कि प्रथम पक्ष ने विश्वास दिलाया है कि उक्त

जमीन हर प्रकार के चार्ज मार्गेज और इनकमब्रान्सेज से

फ्री हैं।

चंद्र जाले







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 054625

BZ 054625

28


19. यह कि प्रथम पक्ष हर प्रकार से सहमत है कि वह

द्वितीय पक्ष को हर प्रकार से सहयोग करेगा और गुप

हाउसिंग के तहत बिल्डिंग तैयार करने में जहां जरूरत

होगा वहां पर अपना हस्ताक्षर जरूरत मुताबिक दस्तावेज

पर करेगा।



~~श्री १९८०~~





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 054626

BZ 054626

29


20. यह कि कुल क्षेत्रफल 1402.78 वर्गफीट यानि 130.

36 वर्गमीटर है जिसकी सरकारी दर 20000/-रु0

प्रतिवर्गमीटर की दर से मु0 26,072,00/-रु0 होता है

जिसमें 130.36 वर्गमीटर कवर्ड है जिसका सरकारी दर

21000/-रु0 है इस प्रकार कवर्ड एरिया का मालियत



13/5/17





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 054627

BZ 054627

30

मु० 27,37,560/-रु० इस प्रकार कुल सरकारी

मालियत मु० _____ 53,44,760/-रु०

होता है क्यों कि उपरोक्त सम्पत्ति व्यावसायिक परिक्षेत्र में

आता है इसलिए कुल मालियत मुबलिय

53,44,760/-रुपये का 15 प्रतिशत व्यावसायिक परिक्षेत्र





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 056958 BZ 056958


31

का मुबलिंग 8,17,14/-रुपया होता है इस प्रकार कुल

मालियत मुबलिंग 61,46,474/-रुपया होता है। अतः

61,47,000/-रु0 पर 7 प्रतिशत कर दर से

4,30,300/-रु0 का स्टाम्प अदा किया जा रहा है।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 056165

BZ 056165

32

21. यह कि द्वितीय पक्ष अपने हिस्से का 57.5 प्रतिशत जो शेयर बिल्डिंग बनने के बाद होगा इसके बाबत विक्रय करने के लिये स्वतंत्र होगा तथा अपने हिस्से के बाबत बैंक में बन्धक या लोन लेने या रखने के लिये स्वतंत्र

रु. 5000

रु. 5000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 056166

BZ 056166

33

होगा। इसी प्रकार प्रथम पक्ष भी अपने शेयर/अंश के बाबत विक्रय करने के लिये स्वतंत्र होगा।

22. यह कि बिल्डिंग का नक्शा बनने के बाद प्रत्येक फ्लोर पर शेयर बंटवारे के बाद उभ पक्ष 100/-रु० के स्टाम्प






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 056167 BZ 056167

34

पर मय नक्शा अनुबंध कर बंटवारा अपने-अपने शेयर का करेगे जो दोनो पक्ष पर बाध्यकारी होगा।

23. यह कि यदि किसी कारण से पक्षगणो में से कोई पक्ष की मृत्यु हो जाती है तक उस स्थिति पक्षगणो के



~~Handwritten signature~~





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 055617 BZ 055617

35

वारिसानो पर भी इस डेवलपर एग्जीमेंट की शर्तें लागू
होगी।

लिहाजा यह विक्रय पत्र प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष
के हक में समक्ष गवाहान लिख दिया गया कि समय
पर काम आवे व प्रमाण रहें।



हस्ताक्षर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 055621 BZ 055621

36

तफसील जायदाद

आराजी नं० मि० 12 में मौजा लालपुर अनौला, परगना शिवपुर, वार्ड सारनाथ, तहसील व जिला वाराणसी कुल क्षेत्रफल 1402.78 वर्गफीट यानि 130.36 वर्गमीटर है जिसकी सरकारी दर 20000/-रु० प्रतिवर्गमीटर की दर से मु० 26,072,00/-रु० होता है जिसमें 130.36 वर्गमीटर कवर्ड है जिसका सरकारी दर 21000/-रु० है इस प्रकार कवर्ड एरिया



बुजय






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 055622 BZ 055622

37

का मालियत मु० 27,37,560/-रु० इस प्रकार कुल सरकारी
मालियत मु० 53,44,760/-रु० होता है क्यों कि उपरोक्त
सम्पत्ति व्यावसायिक परिक्षेत्र में आता है इसलिए कुल मालियत
मुबलिय 53,44,760/-रुपये का 15 प्रतिशत व्यावसायिक
परिक्षेत्र का मुबलिय 8,17,14/-रुपया होता है इस प्रकार कुल
मालियत मुबलिय 61,46,474/-रुपया होता है। अतः
61,47,000/-रु० पर 7 प्रतिशत कर दर से 4,30,300/-रु०



शुभेच्छा

बनम



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 055629 BZ 055629

38


का स्टाम्प अदा किया जा रहा हैं, जिसकी चौहद्दी हसब जैल
है:-

पूरब : मेन रोड़।

पश्चिम : घूरे लाल की जमीन।

उत्तर : बबूआ सोनकर का घर।

दक्षिण : राकेश जायसवाल का हाता।



श्री लाल





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM-718867

39

गवाहान :-

1. नाम : राजय लुमाल गुप्ता

पिता का नाम : स्व. मोरनी लाल गुप्ता

पता : शि. 8/48 विष्णुपुरकोट
वाराणसी



धुपेवाला

इन्द्रज



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DM 718868

40

2. नाम : रवि कुमार

पिता का नाम : धुरीलाल

पता : दीश लाल गुप्त
वाशिंगटन



तहरीर तारीख :- 09.05.2017



रवि कुमार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DM 718869

41

मसविदाकर्ता :- *Ram jagan Singh*
- Advocate -
एडवोकेट
दिवानी कचहरी, वाराणसी।

टाईपकर्ता :- ए0आर0 कम्प्यूटर
कलेक्ट्रेट कचहरी, वाराणसी।



कार्यालय उप निबन्धक प्रथम वाराणसी

- १- रास्ते की स्थिति :
- २- निर्माण की स्थिति :
- ३- निर्माण की प्रकृति (स्थायित्व/अस्थायी) :
- ४- दिशा सूचक :
- ५- पुलों / छत्रों / वाउन्ड्री बॉल / नोट आदि की स्थिति :

सम्पत्ति का पोस्टकार्ड साईज का रंगीन फोटोग्राफ



- १- विक्रेता : हस्ताक्षर विक्रेता
- २- क्रेता :
- ३- प्रतिफल/मिस्त्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर : हस्ताक्षर क्रेता
- ४- सम्पत्ति का विवरण
- ५- बौद्धी -

पूरव : *मोहन शर्मा*
 पश्चिम : *शुभलाल काशी*
 उत्तर : *बुद्धा मिश्र*
 दक्षिण : *राजशंकराचलनाथ का भाई*

६- स्टाम्प देयता का प्रमाणित करने वाले अन्य उध्य :

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक




INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AD 671639

नकशा काठ आराजी ल. मि. 12 स्थित मौजा
 लालपुर अनौला परगना शिवपुर वार्ड सारनाम
 तहसील बजिलु कारासाही
 रकबा ~~1402~~ 1402-78 वर्गफीट मानी 130.36 वर्गमीटर

बबूआ सोनकर घर



घुरे काल



Handwritten signature or mark.



SRISHTI ASSOCIATE
 VDA APPROVED
 LICENCE NO-DB

क्रमांक संख्या.....
स्टाम्प विक्रय की तिथि.....
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.....
स्टाम्प केता का नाम व पूरा पता.....
स्टाम्प की धनराशि.....
स्टाम्प विक्रेता का पूरा नाम - राजनाथ
लाइसेन्स नम्बर - 81/2131/2017
लाइसेन्स की अवधि - 2017 से 2022
अधिकृत विक्रय करने - कलेक्ट्रेट कचहरी
का स्थान व पूरा पता - वाराणसी

रकम

₹ 2198

गंगा नदी किनारे बसा हुआ प्लॉट

₹ 2198

911104

आज दिनांक 09/05/2017 को

वही सं 1 जिल्द सं 9941

पृष्ठ सं 1 से 84 पर क्रमांक 2663

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अशोक कुं0 श्रीवारस्तव (प्र)

SRO1

Sub Registrar-1 VNS

9/5/2017

